न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी– नित्या के0 आई.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0————————————————04/2020
प्रविष्टि दिनांक ————————————————18.08.2020

उनवान

आशा पत्नि सुनील जैन जाति महाजन निवासी प्लाट नं0 105 शास्त्रीनगर टोंक तह0 व जिला टोंक
1. राखी पत्नि विवेक शर्मा जाति ब्रहाम्ण निवासी प्लाट नं0 106 शास्त्रीनगर टोंक तह0 व जिला टोंक
2. मीनू पत्नि विनय गोयल जाति महाजन निवासी प्लाट नं0 9 श्याम वाटिका 80 फिट मार्ग के पास
3. निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0

वादीगण/प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार टोंक (राज0)

प्रतिवादी/अप्रार्थी

उपस्थित– श्री अनुराग गोत्तम–अभिभाषक प्रार्थी
श्री अर्जुनलाल मीणा–पेरोकार सरकार

निर्णय

(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

दिनांक–05.02.2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि अभिभाषक प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवून्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादिगण बावत कराये जाने पत्थरगढी पारित फरमायी जाकर तहसीलदार जी टोंक से वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 205/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम उस्मानपुरा आवाद पटवार हलका डारडाहिन्द भू–अभिलेख निरीक्षक सोनवा तहसील टोंक का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये।

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, प्रतिवादीगण को तलव किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि आवेदक/प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करवा लिया है तो पत्थरगढी किये जाने में प्रतिपक्षी को कोई आपत्ति नही है। आवेदक/प्रार्थी को पत्थरगढी से पूर्व नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने के आदेश प्रदान किये जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नकल जमाबंदी खाता संख्या 112 संवत 2073–76, नक्शा ट्रेस वाके ग्राम उस्मानपुरा आबाद पेश किय गये। जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित भूमि की रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। खसरा गिरदावरी मे भी प्रार्थी का ही कब्जा अंकित है। पैरोकार सरकार ने भी जवाव प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य बताया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर, अपनी उपस्थिति मे भूमि खसरा नम्बर 205/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम उस्मानपुरा आवाद पटवार हलका डारडाहिन्द भू–अभिलेख निरीक्षक सोनवा तहसील टोंक का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाकर, पालना रिपोर्ट दिनांक 15 दिवस से पूर्व इस कार्यालय मे भिजवाने की सुनिश्चितता करे।

आदेश आज दिनांक 05.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, टोंक